...ालय उपखण्ड
संख्या 31 / 2022
...या दिनांक 31.03.2022
1. सत्य नारा...

तारीख हुक्म	
२८-८-२४	वादीगण का प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई स्वीकार किए जाने से पत्रावली तलबशुदा पेश हुई। वादीगण अधिवक्ता उपस्थित। वादीगण अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी। बहस समाप्त पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते आदेश आगामी दिनांक ५-०९-२४ को पेश हो।
५-९-२४	पत्रावली पेश हुई। वादीगण अधिवक्ता उपस्थित पत्रावली आज निर्णय सुनाए जाने हेतु पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किए जाने के उपरान्त वादीगण का वाद पत्र व्यापहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया निर्णयानुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

दावा संख्या 31 / 2022 पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनांक 31.03.2022 श्री कैलाश चन्द गुर्जर(RAS)

बउनवान

1. सत्य नारायण आ0 राम कल्याण जाति ब्राह्मण निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
2. सुरेन्द्र आ0 राम कल्याण जाति ब्राह्मण निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
3. सोहनलाल आ0 राम कल्याण जाति ब्राह्मण निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।

–वादीगण

बनाम

राजस्थान राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।

–प्रतिवादी

वाद – खातेदारी अधिकार घोषणा
अन्तर्गत धारा 88,89 आ0टी0एक्ट व 136 एल0आर0एक्ट

अधिवक्ताः– 1. श्री दिनेश कुमार शर्मा (अधिवक्ता वादीगण)
2. प्रतिवादी (सरकार पैरोकार)

दिनांकः– 04.09.2024

निर्णय

वादीगण द्वारा अन्तर्गत धारा 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व 136 एल0आर0एक्ट के तहत् वाद पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण के कब्जे अधिकार की आराजी कृषि भूमि खाता संख्या 276 खसरा संख्या 286 रकबा 3.23है0 वाके ग्राम कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान में स्थित है वास्ते नकल जमाबंदी सम्वत् 2074–77 वाद पत्र के साथ पेश है। वाद विषयक कृषि भूमि के सेटलमेंट सर्वे सन् 1995–2015 के खसरा संख्या 117 रकबा 21 बीघा थे सेटलमेंट सर्वे के पूर्व वादीगण के खसरा संख्या 117 का नक्शा ट्रेस व सेटलमेंट के पश्चात् नये खसरा संख्या 286 के नक्शा ट्रेस में अंतर है और सेटलमेंट सन् 1995–2015 के पश्चात् वादीगण के कब्जे अधिकार की भूमि का नक्शा ट्रेस छोटा कर दिया है जिससे मोके पर वादीगण का रकबा कम हो गया है जिसकी जानकारी वादीगण को राष्ट्रीय राजमार्ग भारतमाला परियोजना में अवाप्त भूमि 1.65है0 का नोटिस नक्शा ट्रेस के अनुसार दिया है जब कि मौके पर पटवारी हल्का द्वारा जरीब चलाकर देखने पर लगभग 1.91है0 कृषि भूमि रोड में अवाप्त कर कार्य चल रहा है। इस तरह नक्शा ट्रेस के सही नहीं होने से वादीगण की 0.26है0 भूमि मुफ्त में अवाप्त हो रही है वादीगण की कृषि भूमि को सेटलमेंट विभाग ने नक्शा ट्रेस में सही तरमीम नहीं किया और वादीगण की कृषि भूमि मुताबिक नक्शा ट्रेस पश्चिम की मेर पर वर्तमान खसरा संख्या 285, 264 में मिली हुई है सेटलमेंट विभाग को राजस्व नक्शे व रिकार्ड में परिवर्तन

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

रने का कोई अधिकार नहीं है उक्त नक्शा ट्रेस में गलती सहवनवश हुई है जिसको दुरूस्त करने का माननीय को अधिकार प्राप्त है। यह कि वादीगण की वाद पत्र में अंकित कृषि भूमि खसरा संख्या 286 रकबा 3.23है0 का मौके पर काबिज अनुसार वर्तमान नक्शा ट्रेस में परिवर्तन किया जाना आवश्यक है जिससे वादीगण को 0.26है0 भूमि का अवाप्त मुआवजा प्राप्त हो सके। वादीगण के द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी श्रीमान् उपखंड अधिकारी साहब लाखेरी में प्रार्थना पत्र पेश करने पर हल्का पटवारी से मौका रिपोर्ट तलब की गई जिसमें हल्का पटवारी द्वारा वादीगण की कृषि भूमि का वर्तमान नक्शा ट्रेस में सही दर्ज नहीं होने की जानकारी प्राप्त हुई यही वाद का कारण है जिसके बाद से निरन्तर उत्पन्न हो रहा है। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि माननीय न्यायालय में अधिकार घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती का वाद पेश कर मौके पर वादी के कब्जे अनुसार व सेटलमेंट के पूर्व के नक्शे अनुसार वर्तमान नक्शा ट्रेस को सही करवाये और अवाप्ति भूमि का सही निर्धारण करवा सके। अन्त में वादीगण द्वारा निवेदन किया गया कि वाद वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 286 रकबा 3.23है0 वाके ग्राम कोटा खुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान का नक्शा ट्रेस मुताबिक रकबा अनुसार सही दर्ज करवाया जावें।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी के तरफ से पेरोकार सरकार तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत भू0अभिलेख निरीक्षण एवं पटवारी हल्का गुहाटा की मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम कोटाखुर्द के खाता संख्या 276 पर खसरा संख्या 286 रकबा 3.23है0, खसरा संख्या 288 रकबा 0.78है0, खसरा संख्या 478 रकबा 0.62है0, खसरा संख्या 493 रकबा 0.91है0 भूमि में खातेदार सुरेन्द्र, साहनलाल, सत्यनारायण पि0 रामकल्याण जाति ब्राह्मण के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है एवं रहनशुदा है। मौका निरीक्षण पर खसरा संख्या 286 रकबा 3.23 है0 में भारतमाला राष्ट्रीय राजमार्ग 148एन का निर्माण कार्य किया जा रहा है एवं निशानात मिट गये है अतः मौका स्थिति की सम्पूर्ण जानकारी करने पर खातेदार द्वारा 1.656है0 भूमि खसरा संख्या 286 की भूमि अवाप्त कर अवार्ड जारी किया जा चुका है। वर्तमान जमाबंदी एवं वर्तमान नक्शे का मिलान करने पर स्थित निम्न प्रकार है–

क्र0सं0	खसरा संख्या	वर्तमान जमाबंदी में दर्ज रकबा(हैक्टर में)	वर्तमान रिकार्ड में नक्शा नाप (हैक्टर में)	कमी / वृद्धि (हैक्टर में)
1.	286	3.23	3.13	−0.10
2.	285	0.70	0.67	−0.03
3.	287 / 1	1.55	1.44	−0.11
4.	287 / 2	1.17	1.06	−0.11
5.	287 / 3	0.56	0.50	−0.06
6.	262	0.43	0.69	+0.26
7.	264	1.62	2.08	+0.46

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उक्त तालिका अनुसार उपरोक्त खसरान के रकबा एवं वर्तमान नक्शे एवं जमांबंदी अनुसार अन्तर है। वर्तमान नक्शे के व सेटलमेंट से पूर्व नक्शे अनुसार तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है–

खसरा संख्या 286 की पूर्व की मेड 7मीटर पूर्व की आरे दोराने सेटलमेंट स्थानान्तरित हो गई है खसरा संख्या 286 की पश्चिमी–उत्तरी कोना 20मीटर पूर्व की ओर दोराने सेटलमेंट स्थानान्तरित हो गया है व दक्षिण पश्चिम कोना 6मीटर पूर्व की ओर दोराने सेटलमेंट स्थानान्तरित हो गया है। खसरा संख्या 264 व 285 की बीच की मेड 22मीटर उत्तर दिशा की ओर दोराने सेटलमेंट स्थानान्तरित हो गई है। खसरा संख्या 262 के उत्तरी पूवी कोना 12मीटर उत्तर की ओर दोराने सेटलमेंट स्थानान्तरित हो गया है। खसरा संख्या 262, 286 व 307 का कटान बिन्दु अपनु मूल स्थान से 10मीटर पूर्व की ओर स्थानान्तरित है जो प्रस्तावित नक्शे में प्रदर्शित किया गया है। वादी को पत्रावली में प्रस्तुत रिपोट का अवलोकन करवाया गया। वादी द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार खसरा संख्या 286 को दुरूस्त किए जाने हेतु सहमति पेश की। पत्रावली में वादी के साक्ष्य करवाये गये। वादीगण सोहन लाल पी0डब्लू1, कस्तुर चन्द पी0डब्लू2 का साक्ष्य शपथ पत्र पेश हुआ। दस्तावेज प्रदर्श–1 जमाबंदी सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 276, प्रदर्श–2 मिलान क्षेत्रफल सेटलमेंट 1 अप्रेल 1995 से 31 मार्च 2015, प्रदर्श–3 नकल जमाबंदी सम्वत् 2043–46, प्रदेर्श–4 नक्शा ट्रेस सेटलमेंट से पूर्व, प्रदर्श–5 वर्तमान नक्शा ट्रेस सन् 1992–93 प्रदर्श करवाये गये।

वादीगण अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वादीगण के अधिवक्ता ने दोराने बहस वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वाद विषयक कृषि भूमि के सेटलमेंट सर्वे सन् 1995–2015 के खसरा संख्या 117 रकबा 21 बीघा थे सेटलमेंट सर्वे के पूर्व वादीगण के खसरा संख्या 117 का नक्शा ट्रेस व सेटलमेंट के पश्चात् नये खसरा संख्या 286 के नक्शा ट्रेस में अंतर है और सेटलमेंट सन् 1995–2015 के पश्चात् वादीगण के कब्जे अधिकार की भूमि का नक्शा ट्रेस छोटा कर दिया है जिससे मोके पर वादीगण का रकबा कम हो गया है। अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वाद विषयक कृषि भूमि खसरा संख्या 286 रकबा 3.23है0 वाके ग्राम कोटा खुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान का नक्शा ट्रेस मुताबिक रकबा अनुसार सही दर्ज करवाया जावे। बहस समाहत पत्रावली की गई।

हमने वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेज का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा प्रस्तुत मोका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 286 की पूर्व की मेड 7मीटर पूर्व की आरे दोराने सेटलमेंट स्थानान्तरित हो गई है खसरा संख्या 286 की पश्चिमी–उत्तरी कोना 20मीटर पूर्व की ओर दोराने सेटलमेंट स्थानान्तरित हो गया है व दक्षिण पश्चिम कोना 6मीटर पूर्व की ओर दोराने सेटलमेंट स्थानान्तरित हो गया है। खसरा संख्या 264 व 285 की बीच की मेड 22मीटर उत्तर दिशा की ओर दोराने सेटलमेंट स्थानान्तरित हो गई है। खसरा संख्या 262 के उत्तरी पूवी कोना 12मीटर उत्तर की ओर दोराने सेटलमेंट स्थानान्तरित हो गया है। खसरा संख्या 262, 286 व 307 का कटान बिन्दु अपनु मूल स्थान से 10मीटर पूर्व की ओर स्थानान्तरित है जो प्रस्तावित नक्शे में प्रदर्शित किया गया है। वादीगण द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2074–77 में खसरा संख्या 286 पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है। जमाबंदी सम्वत् 2043–46 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद विषयक कृषिभूमि का पूर्व खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
(बून्दी)

रकबा 21बीघा था जो वादीगण के पिता रामकल्याण वल्द बजरंगलाल के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड था। मिलान क्षेत्रफल सेटलमेंट से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 117 रकबा 21 बीघा का नया खसरा संख्या 286 रकबा 3.23है0 बना है। सेटलमेंट से पूर्व के नक्शा ट्रेस व वर्तमान नक्शा ट्रेस के अवलोकन से वाद विषयक खसरा संख्या 286 का नक्शे में परिवर्तन होना प्रतीत होता है। सेटलमेंट विभाग को राजस्व नक्शे व रिकार्ड में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से वादीगण के वाद को बल मिलता है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत लिखित एवं दस्तावेजी साक्ष्य से वादीगण वाद पत्र में अंकित तथ्यों को साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वर्तमान नक्शा ट्रेस को जमाबंदी में अंकित रकबा अनुसार दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीदार इन्द्रगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वाके ग्राम कोटाखुर्द पटवार हल्का गुहाटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित वाद विषयक कृषि भूमि खसरा संख्या 286 रकबा 3.23हैक्टेयर का नक्शा ट्रेस मुताबिक रकबा अनुसार दुरूस्त किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 04.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)

अन्तिम डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई
(O 20, R 6,7)
(Civil Procedure Code, Appendix D)

1.अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी..मुकाम.............लाखेरी...........................व इजलास........श्री कैलाश चन्द गुर्जर(आर0ए0एस)...

1. सत्य नारायण आ0 राम कल्याण जाति ब्राह्मण निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।

—वादीगण

बनाम

1.राजस्थान राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।

—प्रतिवादी

वाद बाबत 88,89 आर0टी0एक्ट एवं 136 एलआर एक्ट

मुकदमा नम्बर 31/दावा/2022 सन् ....

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू .... हमारे...........व हाजिरी .....वादीगण अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार शर्मा......मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है कि —

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री किया जाता है। तहसीदार इन्द्रगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वाके ग्राम कोटाखुर्द पटवार हल्का गुहाटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित वाद विषयक कृषि भूमि खसरा संख्या 286 रकबा 3.23हैक्टेयर का नक्शा ट्रेस मुताबिक रकबा अनुसार दुरूस्त किया जावे।

निज...मुबलिग..बाबत...

.................खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह ....

....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04 माह 09 सन् 2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

मुहर दस्तखत ओहदा

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1.स्टाम्प अर्जीदावा			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
2.स्टाम्प वकालतनामा			2.स्टाम्प अर्जी		
3.स्टाम्प वजह सबूत			3.महनताना वकील		
4.महनताना वकील			4.खर्चा गवाहॉन		
5.खर्चा गवाहॉन			5.फीस कमिश्नर		
6.फीस कमिश्नर			6.बाबत इजराय हुक्मनामा		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			7.मुत्तफरिक		
मिजान			मीजान		

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

बउनवान

1. सत्य नारायण आ0 राम कल्याण जाति ब्राह्मण निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी,
2. सुरेन्द्र आ0 राम कल्याण जाति ब्राह्मण निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान
3. सोहनलाल आ0 राम कल्याण जाति ब्राह्मण निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्

—वादीगण

बनाम

राजस्थान राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)